(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 07/2020
रजिस्ट्रेशन नं0:– 2020/00350

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना छबडा जिला बारां जरिये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ (सायल)

बनाम

शहादत उम्र 35 वर्ष पुत्र मुन्नाशाह जाति फकीर मुसलमान निवासी लोटा भैरू छबडा जिला बाराँ (गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– अभियोजन अधिकारी (सायल)
2– बावजूद सूचना के अनुपस्थित (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 06.10.2023

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल शहादत पुत्र मुन्नाशाह जाति फकीर मुसलमान निवासी लोटा भैरू छबडा जिला बारॉ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना छबडा जिला बाराँ ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना छबडा जिला बाराँ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। गैरसायल जुआ एक्ट, अवैध हथियार, अवैध शराब के अपराधों का आदि है। इसके विरूद्व पुलिस थाना छबडा में वर्ष 2015 से 2020 तक कुल 07 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(2), 4/25 आर्म्स एक्ट(4), 16/54 एक्साईज एक्ट के तहत दर्ज हुए है। उक्त प्रकरणों मे से 2 प्रकरणो में अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है ओर 05 प्रकरण न्यायालय मे लम्बित है, फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को 02 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावें। इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित [illegible] के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे [illegible] दिनांक 12.11.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित [illegible] को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जरिये सम्मन तलबी की गई [illegible] की प्रोपर [illegible] के इस न्यायालय मे अनुपस्थित है। इस पर गैरसायल को [illegible] रीडर II/2023/860 [illegible] 08.09.2023 से सूचित किया गया कि प्रकरण मे आगामी नियत पेशी दिनांक 06.10.2023 को आवश्यक रूप से इस न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे अन्यथा प्रकरण मे एक पक्ष सरकार को ही सुना जाकर अंतिम निर्णय पारित कर दिया जावे। उक्त सम्मन की तामील गैरसायल स्वयं को करवाई गई इसके बावजूद भी गैरसायल इस न्यायालय मे अनुपस्थित रहने पर प्रकरण मे एकपक्षीय अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:28:07 IST
Reason: Self Attested

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना छबडा में वर्ष 2015 से 2020 तक कुल 07 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (2), 4/25 आर्म्स एक्ट (4), 16/54 एक्साईज एक्ट के तहत दर्ज हुए है। उक्त प्रकरणों मे से 2 प्रकरणो में अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है ओर 05 प्रकरण न्यायालय मे लम्बित है, फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

प्रकरण मे अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना छबडा में वर्ष 2015 से 2020 तक कुल 07 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (2), 4/25 आर्म्स एक्ट (4), 16/54 एक्साईज एक्ट के तहत दर्ज हुए है। उक्त प्रकरणों मे से 2 प्रकरणो में अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है ओर 05 प्रकरण न्यायालय मे लम्बित है,

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि शहादत पुत्र मुन्नाशाह जाति फकीर मुसलमान निवासी लोटा भैरू छबडा जिला बारॉ द्वारा उक्त अपराध किए गए है जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को 02 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल शहादत पुत्र मुन्नाशाह जाति फकीर मुसलमान निवासी लोटा भैरू छबडा जिला बारॉ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र, छबडा जिला बारॉ से 01 माह के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूॅ।

गैरसायल शहादत पुत्र मुन्नाशाह जाति फकीर मुसलमान निवासी लोटा भैरू छबडा जिला बारॉ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना क्षेत्र छबडा जिला बारॉ से 01 माह के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, छीपाबडौद जिला बारॉ को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 22.10.2023 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना छीपाबडौद जिला बारॉ को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना छबडा जिला बारॉ को तहरीर दी जावे जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना छबडा जिला बारॉ क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना छीपाबडौद जिला बारॉ के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक **06.10.2023** को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:28:07 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ